न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)
दावा संख्या :—131/2017
निर्णय दिनांक:—16.03.2018

उनवान

पृथ्वीराज पुत्र घासीराम जाति मेघवाल उम्र 60 वर्ष निवासी आदर्श मॉडल टाउन, मालवीय नगर, वार्ड नम्बर 51, जयपुर राज.

—वादी

बनाम

1. फूलचन्द पुत्र गंगाधर जाति खटीक निवासी खिरनी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर राज.
2. तहसीलदार निवाई

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत तरमीम शीट

उपस्थित:— श्री गोपाल चौधरी वकील वादी
श्री हनुमान सिंगवाडिया वकील प्रतिवादी सं. 1

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:—

यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के कब्जे काश्त की संयुक्त आराजी ख.नं. 41/4 रकबा 05 बीघा वाके ग्राम केरोद पटवार हल्का भांवता तहसील निवाई जिला टोंक में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिस पर वादी अपने 2/5 हिस्से की अपनी भूमि को शारीरिक एवं मानसिक रूप से धारित किये हुये है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी की भूमि का खेत नही बना रखा है जिससे वादी को आये दिन कई बार परेशानियों का सामना करना पडता है एवं शीट में तरमीम नही होने से अपनी भूमि को उपजाउ नहीं बना पा रहे है राजस्व शीट मे तरमीम नहीं होने से भविष्य में वादी को और परेशानियों का सामना करना पडता है। मौके पर अनावश्यक झगडे एवं विवाद होने की आशंका बढ जावेगी। इस कारण उक्त वर्णित भूमि का ख.नं. अनुसार एवं कब्जे अनुसार राजस्व शीट में तरमीम किया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है। अतः वादी की अधियाचना है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी बाबत तरमीम की डिक्री इस अमर की फरमायी जावे कि उक्त वर्णित आराजी को वाके ग्राम केरोद पटवार हल्का भांवता में स्थित है कि मुताबिक ख.नं. व कब्जा अनुसार तरमीम की जाकर राजस्व शीट में अलग खेत बनाने के आदेश प्रतिवादी सं. 2 तहसीलदार निवाई को दिया जावे। इस आशय की डिक्री बहक वादी पारित फरमावे।

दावा पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री हनुमान सिंगवाडिया एड. ने वकालतनामा व इकबाली जवाब दावा पेश किया कि उक्त वर्णित भूमि की तरमीम किये जाने में प्रतिवादी सं.1 को कोई आपत्ति व उज्र नहीं है। प्रतिवादी सं. 2 तहसीलदार निवाई ने जवाब पेश किया कि वादी का मुताबिक सुपुर्दगीनामा के स्थान पर अन्य आवन्टी की तरमीम होकर कब्जा काश्त है। उक्त वर्णित भूमि ख.नं.

47D:\Rajsw\Court\Faisale\Faisale.docx317

उपखण्ड अधिकारी
निवाई, जिला टोंक

Scanned by CamScanner

41 का रकबा मुताबिक जमबान्दी 45–00 बीघा है। नक्शा शीट में उक्त ख.नं. की रकबा बरारी करने पर रकबा 30–00 बीघा बनता है, इस प्रकार उक्त ख.नं. 41 में 15–00 बीघा भूमि कम पडती है एवं ख.नं. 41 में सम्पूर्ण रकबों में तरमीम हो रही है। उक्त ख.नं. 41 के लगवा ख.नं. 42 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के 13–00 बीघा है जबकि नक्शा शीट में रकबा बरारी करने से ख.नं. 42 का रकबा 22–16 बीघा बनता है। इस प्रकार उक्त ख.नं. में रकबा 09–16 बीघा अधिक है एवं पूर्व में इस ख.नं. में से 1–07 बीघा भूमि ख.नं. 41 में समायोजित होकर शेष रकबा 08–09 बीघा ख.नं. 41 में समायोजित करने से वादी की भूमि की तरमीम की जा सकती है एवं वादी का मौके पर ख.नं. 42 पर कब्जा है। अतः ख.नं. 42 में से ख.नं. 41 में रकबा 08–09 बीघा भूमि तरमीम दुरूस्त करने के उपरान्त वादी की तरमीम मौका अनुसार की जा सकती है। वकील वादी की ओर से pw–1 पृथ्वीराज का शपथ–पत्र पेश किया गया।

वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन मनन किया गया। प्रतिवादी सं. 1 के इकबाली जवाब, प्रतिवादी सं. 2 तहसीलदार निवाई के विस्तृत जवाब के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेश दिया जाता है कि ख.नं. 42 में से ख.नं. 41 में रकबा 08–09 बीघा भूमि तरमीम दुरूस्त करने के उपरान्त वादी के मौके पर कब्जे के अनुसार आपके द्वारा प्रस्तावित तरमीम प्रस्ताव अनुसार तरमीम करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 16.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अ 16/3/18

हरिताभ कुमार आदित्य
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

पृथ्वीराज पुत्र घासीराम जाति मेघवाल उम्र 60 वर्ष निवासी आदर्श मॉडल टाउन, मालवीय नगर, वार्ड नम्बर 51, जयपुर राज.

—वादी

बनाम

1. फूलचन्द पुत्र गंगाधर जाति खटीक निवासी खिरनी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर राज.
2. तहसीलदार निवाई

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत तरमीम शीट

मुकदमा संख्या:—131 / 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हरिताभ कुमार आदित्य आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री गोपाल चौधरी वकील वादी व श्री हनुमान सिंगवाडिया वकील प्रतिवादी सं. 1 मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार निवाई को आदेश दिया जाता है कि ख.नं. 42 में से ख.नं. 41 में रकबा 08—09 बीघा भूमि तरमीम दुरूस्त करने के उपरान्त वादी के मौके पर कब्जे के अनुसार आपके द्वारा प्रस्तावित तरमीम प्रस्ताव अनुसार तरमीम करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 03 सन् 2018 को जारी की गई।

16/3/18

उपखण्ड अधिकारी
निवाई(टोंक)

Scanned by CamScanner